न्यायालय— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बैतूल के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 बैतूल, जिला बैतूल (म०प्र०) [समक्ष—श्रीमती सीता कनोजे]

<u>व्यवहार वाद क.-6ए/17</u> संस्थित दिनांक-10.01.2017

1. किसन पिता पन्नालाल गंगारे, उम्र 42 वर्ष निवासी— रातामाटी तह. व जिला बैतूल

--आवेदक / वादी

-:<u>विरूद्धः-</u>


- 1. ओझू पिता पन्नालाल गंगारे, उम्र 56 वर्ष
- 2. कल्लू पिता पन्नालाल गंगारे, उम्र 60 वर्ष
- 3. तुतलीं बाई पति पन्नालाल गंगारे, उम्र 75 वर्ष निवासी— ग्राम रातामाटी तह. व जिला बैतूल
- 4. विपतिया पति श्री दीनू नारे, उम्र 65 वर्ष निवासी— खेड़ली तह. व जिला बैतूल
- 5. **कतका पति दयाराम भूसारी, उम्र 40 वर्ष** निवासी— ग्राम टिगरिया तह. व जिला बैतुल
- 6. गंगूलाल पिता श्री झोरी कुमरे जाति गोंड, उम्र 36 वर्ष निवासी— रातामाटी तह. व जिला बैत्ल
- 7. श्रीमती अनुसया बाई जौजे श्री शिवकरण मोड़क उम्र 40 वर्ष, निवासी— रातामाटी बुजुर्ग तह. व जिला बैतूल
- 8. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर बैतूल अनावदेकगण / प्रतिवादीगण

वादी द्वारा श्री व्ही.के. बड़ोनिया अधिवक्ता।
प्रतिवादी क— 1 द्वारा श्री दीपक पाल अधिवक्ता।
प्रतिवादी क— 2 से 5 द्वारा श्री शर्मा अधिवक्ता।
प्रतिवादी क— 6 द्वारा श्री राजेश सोनी अधिवक्ता।
प्रतिवादी क. 7 व 8 पूर्व से एकपक्षीय।

<u>/ / आदेश / /</u>

(आज दिनांक-01.02.2018 को पारित ।)

- 01. इस आदेश के द्वारा आवेदक / वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. 1908 का निराकरण किया जा रहा है ।
- 02. प्रकरण में प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 ने यह स्वीकार किया है कि वादी के पिता पन्नालाल को विवादित संपत्ति विरासतन हक में प्राप्त हुई थी तथा विवादित संपत्ति वादी एवं प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के नाम शामिल शरीकत रूप से राजस्व अभिलेखों में इंद्राज है जिसका बटवारा नहीं हुआ है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रतिवादी क. 1 ने प्रतिवादी क. 6 को दिनांक 16.06.2015 को विवादित ख.न. 128/1 में से रकबा 0.004 हे. भूमि विक्रय की है तथा प्रतिवादी क. 7 को दिनांक 20. 02.2009 को उक्त विवादित भूमि में से रकबा 0.012 हेक्टेयर भूमि विक्रय की है।
- 03. स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादी के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी की वंश वृक्षावली निम्नानुसार है—



- 04. वादी के पिता पन्नालाल गंगारे की लगभग 25 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है उनकी संपत्ति ग्राम रातामाटी बुजुर्ग प.ह.नं. 47/16 में खसरा नंबर 128/1 रकबा 0. 121 हे. एवं ख.न. 63 रकबा 0.607 हे. भूमि थी तथा उनकी मृत्यु के कारण उनकी संपत्ति का विरासतन हक में वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 का शामिल शरीकत के नाम इंद्राज हुआ। ख.नंबर 128/1 रकबा 0.121 हे. भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि कहा जायेगा।) उक्त विवादित भूमि का वादी तथा प्रतिवादी क्. 1 से 5 के मध्य कोई बटवारा नहीं हुआ तथा राजस्व अभिलेख में शामिल शरीकत नाम इंद्राज है। प्रतिवादी क्र. 1 की संतान बीरबल, विष्णु तथा सरोज है। सरोज का अभी विवाह नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्र. 1 ओझू शराब पीने का आदी है इसलिये उसकी पत्नी मीरा अपने भाई के पास ग्राम गोंडू मंडई में निवासरत है।
- **05**. प्रतिवादी क. 1 ने बिना बटवारा के प्रतिवादी क. 6 मंगूलाल तथा प्रतिवादी क. 7 के तथाकथित रूप से विकय पत्र का निष्पादन किया जिसकी जानकारी

होने पर वादी द्वारा तथाकथित विक्रय पत्रों की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 16.12.2016 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी क. 1 द्वारा प्रतिवादी क. 6 गंगूलाल को दिनांक 16.06.2015 को ग्राम रातामाटी में ख.न. 128/1 में से रकबा 0.004 हे. याने 450 वर्गफुट भूमि जिसकी चतुर्सीमा के उत्तर में कच्चा रास्ता एवं सहखातेदारों की भूमि, दक्षिण में कच्चा रास्ता, पूर्व में कलीराम की भूमि तथा पश्चिम में ओझू का मकान एवं सहखातेदारों की शेष भूमि दर्शित कर विक्रय पत्र किया गया तथा प्रतिवादी क. 7 को दिनांक 20.02.2009 को खसरा नंबर 128/1 में से रकबा 0.012 हे. जिसकी चतुर्सीमा के उत्तर में विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण में कच्चा रास्ता, पूर्व में बारक्या की भूमि, पश्चिम में विक्रेता की शेष भूमि दर्शित कर विक्रय पत्र निष्पादित किया जो वादी पर बंधनकारी नहीं है इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क. 6 और 7 को निष्पादित तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर आधित्य नहीं है। प्रतिवादी क. 6 एवं 7 द्वारा माह दिसंबर 2016 में अचानक ही निर्माण कार्य करने हेतु कच्ची सामग्री लाकर रखी तब वादी के द्वारा इसका विरोध किया गया तब प्रतिवादी क. 6 द्वारा कहा कि यह जमीन हमने खरीद ली है।

- 06. वादी को यह प्रबल संभावना हो गई है कि प्रतिवादी क. 6 एवं 7 तथाकथित विकय पत्र के आधार पर वादी के शामिल शरीकत कब्जे की भूमि पर दखल अंदाजी दी जावेगी अन्यथा भी यदि बिना बटवारा के प्रतिवादी क. 6 एवं 7 बल पूर्वक निर्माण कार्य कर लिया गया तो वादी को क्षति होगी तथा बहुविवाद बढ़ेगा । वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।
- 07. प्रतिवादीगण क.—1 लगायत 5 ने स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त वादी के अभिवचन को असत्य बताकर अस्वीकृत किया है उसका पक्ष है कि प्रतिवादी क. 1 ने शामिल शरीकत भूमि का बिना बटवारा किये ही प्रतिवादी क. 6 एवं 7 को भूमि विक्रय कर दी है । उक्त तथ्य को सिद्ध करने का भार वादी का है । प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी क. 6 एवं 7 को अवगत करा दिया था कि उसका आधिपत्य नहीं है । भूमि पर वादी का कब्जा है और कब्जा नहीं दे सकता फिर भी प्रतिवादी क. 6 एवं 1 ने कहा कि हम देख लेंगे और भूमि क्रय कर ली ।
- 08. प्रतिवादी क. 2 लगायत 5 ने विशेष कथन में उल्लेख किया है कि वादी तथा प्रतिवादी क. 1 के मध्य वाद आधारित संपत्ति का बटवारा नहीं हुआ है तथा बिना बटवारा के किया गया विकय पत्र प्रतिवादीगण पर बंधनकारी नहीं है। प्रतिवादी क. 1 ने प्रतिवादी क. 6 एवं 7 को तथाकथित रूप से विकय पत्र निष्पादित किया है । प्रतिवादीगण को इसकी जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी क. 1 ओझू का आधिपत्य नहीं था और न ही प्रतिवादी क. 6 एवं 7 का आधिपत्य है । प्रतिवादी क. 1 को कोई अधिकार नहीं था कि वह वाद आधारित भूमि का अकृष्ठ भाग विकय करता।

- 09.. प्रतिवादी क. 6 ने वादी के अभिवचन को असत्य बताकर अस्वीकृत किया है उनका पक्ष है कि प्रतिवादी क. 7 का लगभग 5 वर्ष से अधिक से निर्माण हो चुका है तथा प्रतिवादी क. 6 द्वारा फरवरी 2017 में अपना मकान निर्माण किया है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण क. 1 द्वारा विकय की जानकारी होने के पश्चात वादी द्वारा प्रतिवादी क. 6, 7 के नाम पर कोई आपत्ति नहीं की । वादी ने प्रतिवादीगण क. 6 एवं 7 के मकान का निर्माण हो जाने के पश्चात आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने की गरज से दावा पेश किया है। प्रतिवादी क. 6 द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि के अतिरिक्त कोई नया निर्माण नहीं किया है और न ही भविष्य में करेगा। विशेष कथन में उल्लेख किया है कि वादी का वाद दुर्भावना से ग्रसित होकर प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 10. अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित तीन अवधारणीय बिन्दु है कि क्याः—
- 1- प्रथम दृष्ट्या मामला ।
- 2- सुविधा का संतुलन या ।
- 3— अपूर्णीय स्वरूप की क्षति के मानक वादी के पक्ष में है।

-:अवधारणीय बिन्दू कमांक-1 सकारण निष्कर्ष:-

11. वादी द्वारा खसरा नंबर 128/1 रकबा 0.121 की भूमि वादी तथा प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के संयुक्त स्वामित्व की होना अभिवचित किया है। जबिक प्रतिवादी क. 6 ने जवाब में उल्लेख किया है कि वादी एवं प्रतिवादी क. 1 लगायत 5 के मध्य मौखिक बटवारा हो चुका है। उक्त विवादित भूमि संयुक्त स्वामित्व की है या नहीं इस तथ्य का निर्धारण साक्ष्य प्रस्तुति के पश्चात गुण दोषों के आधार पर ही किया जा सकेगा। स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रतिवादी क. 1 ने प्रतिवादी क. 6 एवं 7 को ख.न. 128/1 रकबा 0.121 की भूमि विक्रय की है तथा प्रतिवादी क. 6 ने जवाब में उक्त भूमि पर निर्माण कर लेना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में होना स्थापित नहीं।

—:<u>अवधारणीय बिन्दु कमांक— 2 व 3 सकारण निष्कर्षः—</u>

12. वादी ने यह अनुतोष याचित किया है कि वादी के शामिल शरीकत आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादी क. 6 एवं 7 को किये गये तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर हस्तक्षेप न करे, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे और न ही प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर विक्रय करे । प्रतिवादीगण क. 6 ने जवाब में उसके द्वारा क्रय की गयी भूमि पर निर्माण कर लेना बताया है । ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा याचित अनुतोष अंतिम स्तर का है । अतः अभिलेख पर आयी स्थिति अनुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीत स्वरूप की क्षति के मानक वादी के पक्ष में होना स्थापित नहीं । वादी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

13. इस आदेश के विवेचन का प्रभाव प्रकरण के आगामी प्रक्रमों पर नहीं होगा।

आदेश दिनांकित व हस्ताक्षरित कर, पारित किया गया।

सही / –

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग—1 बैतूल के न्या. के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग—1 बैतूल जिला—बैतूल म0प्र0 मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/-

(श्रीमती सीता कनोजे)

प्र.व्य.न्यायाधीश वर्ग—1 बैतूल के न्या. के तृतीय अति.व्यवहार न्या.वर्ग—1 बैतूल जिला—बैतूल म०प्र०

.